15-1-19

नकल तैयार हुई
रसीद रिसोर्ट ...
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते
2565 दिनांक 12-3-19 को पेश हो

12/03/19	वकील उत्तरदाता उपस्थित तलब व रिकार्ड तलब होकर 13/05/19 को पेश हो
13/05/19	वकील उत्तरदाता उपस्थित वास्ते बहस पत्रावली 18/6/19 को पेश हो
18/06/19	वकील अपीलांट श्री निखिल दवे उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। वकील उत्तरदाता की तहरीर प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार भीनमाल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्र क्रमांक भू-अभिलेख 16/42, 40 दिनांक 24/11/2016 के जरिये राजस्थान सरकार राजस्व विरूद्ध 6 जयपुर के परिपत्र प. 3(2) भू-राजस्थान 6/2003 पार्ट दिनांक 10/08/2016 के संबंध में रास्ते संबंधित समस्याओं के निवारण अभियान 2016 के तहत पटवारी हल्का भू-अभिलेख जांच सहित खसरा नंबर 2077 एंव 2451/2018 में रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। खसरा नंबर 2077, 2079 अथवा 2055 के किसी खातेदार ने अपीलांट की खातेदारी खसरा नंबर 2451/2058 में से कभी न तो आवागमन किया है न ही वर्तमान में कर रहा है। उक्त खातेदारान के पास वैकल्पिक रास्ता खसरा नंबर 2451/2058 की पूर्व की तरफ से उपलब्ध है जिससे तमाम व्यक्ति आवागमन कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय अथवा

L.C की पत्राव
संलग्न है

_____ बनाम _____

किस्म मुकदमा .....मुकदमा नम्बर .....सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उनके अधीनस्थ कर्मचारी व रेस्पोडेन्ट तहसील-दार भीनमाल भू-अभिलेख निरीक्षक पूनसा अथवा पटवारी दौलीबास ने मौका देखने से पूर्व अथवा रास्ता तरमीम करने का आदेश देने से पूर्व किसी प्रकार की सूचना अपीलंट को नहीं दी गई, जबकि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी से कोई भूमि कम की जाती है अथवा बढ़ार जाती है तो खातेदार को सूचित किया जाना बाध्यकारी है। अपीलंट की कृषि भूमि पीबल है तथा अपीलंट की रहवासी ढाणी भी खसरा नंबर 2056 में बनी हुई है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका निरीक्षण करते समय अपीलंट को सूचित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी पड़ौसी खातेदार द्वारा रास्ते की मांग नहीं की गई एंव न ही अपीलंट द्वारा रास्ता बंद कराने के संबध में किसी प्रकार की शिकायत की गई। केवल मात्र कृषि भूमियो में आम रास्ते से रहवासी ढाणी तक ट्रेक्टर चलने से आवागमन सार्वजनिक नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलंट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर पैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलंट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप-6 जयपुर के परिपत्र प. 3 (2) भू-राजस्थान 6/2003 पार्ट दिनांक 10/08/06 की पालना में पैर अपील आदेश पारित किया है जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः अपीलंट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार भीनमाल के पत्रांक। भू.अ.।16। 4240 दिनांक 24.11.2016 के जरिये राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप-6 जयपुर के परिपत्र प. 3(2) राज-6।2003 पार्ट दिनांक 10।08।2016 के द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं का निवारण के लिये अभियान 2016 के तहत पटवारी हल्का व निरीक्षक भू-अभिलेख की जांच सहित खसरा नंबर 2077 एवं 2451।2018 में रास्ता दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है एवं न ही इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को कोई नोटिस दिया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका फर्द अपीलांट को बिना सूचित किये एकतरफा बनाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है, जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.16 अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी	